पति पत्नी के बीच नफ़रत

मौजूदा दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का इक्कीसवां इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध व्यापारिक शहर इन्दौर के निकट जामिया इस्लामिया बन्जारी में दिनांक 9-11 रबीउस्सानी 1433 हिजरी, 3-5 मार्च 2012 ई0 आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ पति पत्नी के बीच पैदा होने वाले मत भेदों के हल के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

1- इस्लाम में निकाह एक पवित्र और मुक़द्दस रिश्ता है और शरीअत चाहती है कि इस रिश्ते में यथा सामर्थय हमेशगी व मज़बूती हो, इस लिए किसी निश्चित विश्वसनीय कारण के बिना मर्द का तलाक़ दे देना या औरत की ओर से खुलअ की मांग करना अत्यन्त अप्रिय और घृणित काम है, इस लिए पति व पत्नी को चाहिए कि जहां तक हो सके इस रिश्ते को टूटने से बचाए और यदि कोई मतभेद पैदा हो जाए तो क़ुरआन मजीद ने ऐसे विवादों को हल करने के लिए जो तदबीरें बताई हैं उनको अपनाया जाए और एक दूसरे के साथ धैर्य, क्षमा और सहनशीलता से काम लें।

2- यदि पति पत्नी के सम्बन्ध सुखद एवं ठीक न रहें, निकाह के उद्देश्य सुखी जीवन, आपसी प्रेम व सम्बन्ध समाप्त होने लगे ओर पत्नी तलाक़ की मांग करे तो पति को चाहिए कि तलाक़ दे दे, मात्र यातना देने व कष्ट देने के उद्देश्य से उसे लटकाए न रखे और यदि पति तलाक़ देने पर तैयार न हो तो पत्नी खुलअ की मांग कर सकती है और ऐसी सूरत में पति को चाहिए कि खुलअ स्वीकार करके औरत को आज़ाद कर दे।

3- पति पत्नी के बीच ऐसी कड़वाहट जिसके कारण साथ रहना दूभर नज़र आए इसे शिक़ाक़ कहते हैं।

4- पति पत्नी के अभिभवक का भी कर्तव्य है कि वे शिक़ाक़ की सूरत में उनके बीच सुलह कराने और आपसी मतभेदों को दूर करने और दोनों को अल्लाह की सीमाओं पर क़ायम रखने की कोशिश करें।

5- यदि पति पत्नी के बीच शिक़ाक़ पैदा हो जाए और पत्नी पति के साथ रहने पर किसी तरह भी तैयार न हो तो क़ाज़ी प्रथम सुलह कराने की कोशिश करे, यदि सुलह न हो पाए तो खुलअ कराने की कोशिश करे।

6- शिक़ाक़ (शत्रुता) की सूरत में हर सम्भव कोशिश के बावजूद कोई हल न निकल सके तो क़ाज़ी के लिए ज़रूरत पड़ने पर चारों इमामों में से किसी एक के मसलक के अनुसार उनकी विश्वसनीय शर्तों के साथ निकाह तोड़ने की गुंजाइश है।

☆☆☆